राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा(राज.)

प्रकरण संख्या – 29/2021 पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. जगराम पुत्र भूधर उम्र वयस्क जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील मण्डावर हाल बैजूपाडा जिला – दौसा राज
2. शिवलाल पुत्र भूधर उम्र वयस्क जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील मण्डावर हाल बैजूपाडा जिला दौसा राज.

बनाम ----------(प्रार्थीगण)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा हाल मण्डावर जिला दौसा राज.
2. जयफूल पुत्र गिरधारी जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील मण्डावर हाल बैजूपाडा जिला – दौसा राज

--------(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री लक्ष्मीनारायण मीना

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय **दिनांक –29.10.2021**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय मे दिनांक 23.10.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कंचनपुरा पटवार मण्डल बैजूपाडा भू.अ.नि. बैजूपाडा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 131 के **आ.न. 135,135/1135, 444, 47, 48, 81, 82, 85, 908 एवं 97 किता 10 रकबा 1.88 हैक्टेयर, भूमि** स्थित हैं। आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं जिससे कि प्रार्थी अपने खाते में खसरा नम्बर 444 रकबा 0.68 हैक्टे. की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र न्यायालय मे दिनांक 25.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को नोटिस जारी किये गये । पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2021 में प्रस्तुत हुई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम कंचनपुरा पटवार मण्डल बैजूपाडा भू.अ.नि. बैजूपाडा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 131 के **आ.न. 444 किता 1 रकबा 0.68 हैक्टेयर, भूमि** की पत्थरगढ़ी की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक बैजूपाडा को रूपये 1500 /– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बैजूपाडा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली [illegible] से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को न्यायालय के [illegible] गांवो के संग अभियान–2021 ग्राम पंचायत बैजूपाडा में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.10.10 16:00:45 IST
Reason: SelfAttested

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावर, जिला मण्डावर

Scanned with CamScanner